☎ कार्या – (0755) 2551660, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 634 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 27/03/2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
विन्ध्या शिक्षा समिति कॉलेज,
प्लॉट नं.–52/3, ग्राम व पो. खैरी, तह. मण्डला
जिला–मण्डला (म.प्र.)–481661

विषयः– डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भः– आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

——//——

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/– के चालान दिनांक 17.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/– के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013–14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 384 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र. –586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/– का चालान अप्राप्त है।
2. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं किन्तु उक्त छायाचित्रों में स्टाफ एवं संचालक मण्डल के नाम व पद अंकित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/–के चालन की मूलप्रति एवं बिन्दु क्र.–02 अनुसार छायाचित्र दिनांक 09.04.2014 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./635/ डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 27/03/2014

प्रतिलिपिः–

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

O/C COPY

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ कार्या.– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/658/डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 03/04/2014

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
परमहंस महाविद्यालय,
प्लॉट नं.–278, गली नं.–02,
ग्राम पो. व तह. नरसिंहपुर,
जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)–487001

विषयः– डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भः– आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 04.03.2014

–––//–––

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/– के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/– के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013–14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.–586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/– का चालान अप्राप्त है।

2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख सहित छायाचित्र संलग्न नही किये गये है।

अतः निर्देशित किया

O/C COPY

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या.- (0755) 2551650, 2761587 फैक्स (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/658/डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 03/04/2014

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
परमहंस महाविद्यालय,
प्लॉट नं.-278, गली नं.-02,
ग्राम पो. व तह. नरसिंहपुर,
जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)-487001

विषयः- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भः- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 04.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई-हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।

2. संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख सहित छायाचित्र संलग्न नही किये गये है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रुपये 15,000/-के चालन की मूलप्रति एवं बिन्दु क्र.-02 अनुसार छायाचित्र दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./659/ डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 03/04/2014

प्रतिलिपिः-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

O/C COPY

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या.– (0755) 2551650, 2711567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 656 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
स्वामी विवेकानन्द आडियल ट्रेनिंग कॉलेज,
प्लॉट नं. / खसरा नं.–317, गली नं.
एच. नं.–34, ग्राम धनवंती नगर,
पो. गढ़हा, तह. जबलपुर,
जिला–जबलपुर (म.प्र.)–482001

विषयः– डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भः– आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 18.02.2014 एवं 08.03.2014

—— / / ——

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :–

1. संस्था द्वारा मण्डल के निर्धारित नवीन संबद्धता संबंधी प्रारुप पर संस्था के अध्यक्ष / सचिव द्वारा हस्ताक्षरित संबद्धता आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. से संस्था को जारी मान्यता संबंधी आदेश की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि संस्थान को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी आदेश की राज पत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। किन्तु छायाचित्र में शिक्षक गणों के नाम एवं पद नाम का उल्लेख नहीं है एवं संस्था का नाम बैनर पर लिखकर टांगा गया है। संस्था के भवन पर संस्था का नाम अंकित नहीं है। लेख है कि संस्था भवन के सामने से लिये गये छायाचित्र जिसमें सम्पूर्ण भवन प्रवेश द्वारा स्पष्ट दिखाई दें एवं उक्त छायाचित्रों की पृष्ठ भूमि में संस्था के संचालक मण्डल एवं संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद युक्त पृथक–पृथक छायाचित्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमियों की पूर्ति कर दिनांक 09.04.2013 तक संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रुप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014–15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 657 / डी.एड.सेल / 2014 भोपाल, दिनांक 03 / 04 / 2014

प्रतिलिपिः–

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल